17.05.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पेशकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नहीं थी एवं न ही निर्णय दिनांक 03.08.2021 को प्रार्थी उपस्थित था। इसके विपरीत पेशकार सरकार द्वारा निवेदन किया कि निर्णय दिनांक 03.08.2024 को प्रार्थी स्वयं उपस्थित था, जिसे उक्त निर्णय भलीभांति जानकारी थी।

अतः दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किए जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किए जाने पर निष्कर्ष इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2024 को प्रार्थी, अपीलार्थी स्वयं उपस्थित था एवं प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका शीट में भी हस्ताक्षर किए हैं, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की भलीभांति जानकारी थी। फिर भी न्यायहित में, प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार आबूरोड के मुकदमा संख्या 07/2021 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2021 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब [illegible] अवधि को कंडोन किया जाता है। निर्णय [illegible] सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो[illegible] एवं [illegible] पत्रावली के साथ नत्थी हो।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner